

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ-3(ख)(निप)212/89/अलेसे-11/

25341

दिनांक :- 14/1/2016

आदेश संख्या : 175/2015-16

शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-17/ई/परावि/प्रशासन-2/स-3/जांच/2015/1936 दिनांक 29.05.2015 से श्री कैलाश प्रसाद मीणा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, पंचायत समिति-नगर जिला भरतपुर को निलम्बित किये जाने एवं दिनांक 20.10.2015 को पैतृक विभाग में उपस्थिति प्रस्तुत करने पर विभागीय आदेश संख्या 24525-24533 दिनांक 10.12.2015 से निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषालय अलवर किया गया था।

निलम्बन से बहाली हेतु गठित स्थाई समिति की दिनांक 13 जनवरी 2016 को आयोजित बैठक में श्री कैलाश प्रसाद मीणा की निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने पर श्री कैलाश प्रसाद मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है। निलम्बन से बहाली उपरान्त नियमित पदस्थापन होने तक श्री मीणा अपनी उपस्थिति उपकोषाधिकारी, पहाडी जिला भरतपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे तथा इस कार्यालय में रिक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के पद का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

निलम्बन अवधि का निर्णय शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर द्वारा जारी आरोप-पत्र की जांच के निर्णय के अधीन होगा।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ-3(ख)(निप)212/89/अलेसे-11/

25341-25354

दिनांक : 14/1/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा
3. कोषाधिकारी अलवर/ भरतपुर
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नगर जिला भरतपुर
5. उपकोषाधिकारी, पहाडी, जिला भरतपुर
6. उप निदेशक (आईटी)एसीपी कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड एवं पीआईएस में अद्यतन हेतु।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक कार्यालय हाजा
8. गोपनीय शाखा/ पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट
9. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली

(डा. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)